संख्या-10/2016/269/43-1-2016-25(17)/2014

प्रेषक,

डा0 नन्द लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 सूचना आयोग,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2016

विषयः- उ0प्र0 सूचना आयोग हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सृजित कुल 155 पदों को वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार पुनर्गठित करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के संचालन हेतु समय-समय पर प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 द्वारा जारी विभिन्न शासनादेशों (कार्यालय ज्ञाप संख्या-400/ 43-1-2006-14(32)/2005, दिनांक 27-3-2006, संख्या-1092/43-1-2006- 14(32)/2005, दिनांक 4-5-2006, संख्या-1092/ 43-1-2006-14(32)/2005, दिनांक 7-6-2006, संख्या-2051/43-1-2006-14(32)/2005, दिनांक 18-8-2006, संख्या-2052/43-1-2006-14(32)/2005, दिनांक 18-8-2006, संख्या-2289/43-1-2006-14(4)/2006, दिनांक 13-9-2006, संख्या-2574/43-1-2006- 14(41)/2006, दिनांक 27-11-2006, संख्या-74/43-1-2007-14(41)/2006, दिनांक 11-1-2007, संख्या-1920/43-1-2010-14(41)/2006, दिनांक 14-9-2010, संख्या-1921/ 43-1-2010-14(41)/2006, दिनांक 14-9-2010, संख्या-2264/43-1-2010- 14(41)/2006, दिनांक 15-11-2010, संख्या-1202/43-1-2014- 14(41)/2006, दिनांक 11-9-2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-29/2015/943/43-1-2015-14(41)/2006, दिनांक 18-9-2015) द्वारा कतिपय पदों के साथ-साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 155 पद सृजित किये गये हैं। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 155 पदों का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम0सं0	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	कुल स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लिपिकीय संवर्ग			
	(i) कार्यालय अधीक्षक	9300-34800	4200	01
	(ii) पेशकार	5200-20200	2800	11
	(iii) वरिष्ठ सहायक (नायब नाजिर)	5200-20200	2800	01
	(iv) वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2400	06
	(v) कनिष्ठ सहायक/कनिष्ठ लिपिक	5200-20200	2000	13
	(vi) अहलमद	5200-20200	2000	11
	(vii)रिसेप्श्निष्ट/स्वागती	5200-20200	2000	01
			कुल योग	**44**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	आशुलिपिक संवर्ग			
	(i) वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	24
	(ii) आशुलिपिक ग्रेड-1	9300-34800	4200	13
			कुल योग	**37**
3	लेखा संवर्ग			
	(i) लेखाकार	9300-34800	4200	01
	(ii) सहायक लेखाकार	5200-20200	2800	01
			कुल योग-	02
4	लेखा परीक्षक संवर्ग			
	(i) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	9300-34800	4200	01
5	ई0डी0पी0 संवर्ग			
	(i) कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-2	9300-34800	4600	01
	(ii) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी	5200-20200	2800	01
	(iii) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी	5200-20200	2800	01
	(iv) कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	5200-20200	2400	03
			कुल योग-	06
6	पुस्तकालय संवर्ग			
	(i) सहायक लाइब्रेरियन	5200-20200	2000	01
7	उर्दू अनुवादक संवर्ग			
	(i) टंकक/उर्दू अनुवादक	5200-20200	2000	02
8	वाहन चालक			
	(i) वाहन चालक	5200-20200	1900	14
9	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग			
	(i) जमादार/अर्दली	5200-20200	1800	02
	(ii) दफ्तरी	5200-20200	1800	01
	(iii) अनुसेवक	5200-20200	1800	38
	(iv) फर्राश	5200-20200	1800	02
	(v) सफाई कर्मी	5200-20200	1800	02
	(vi) अनुसेवक/बुक लिफ्टर/बन्डल लिफ्टर	5200-20200	1800	03
			कुल योग	48
			महायोग	155

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार उ0प्र0 सूचना आयोग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध उपर्युक्त पदों को पुनर्गठित करते हुए आयोग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों का पुनर्गठित ढाँचा इस शासनादेश के निर्गत होने की तारीख से निम्नानुसार निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(अ) <u>लिपिकीय संवर्ग</u>

क्0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	पुनर्गठन के उपरान्त पद	भर्ती की विधि एवं शैक्षिक अर्हता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	01	मौलिक रूप से नियुक्त प्रधान सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वाराः परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम 10 वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी शासन के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।
2	प्रधान सहायक	9300-34800	4200	06	मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
3	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	12	मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
4	कनिष्ठ सहायक (उर्दू अनुवादक/ टंकक के 01 पद तथा सहायक लाइब्रेरियन के 01 पद को सम्मिलित करते हुए)	5200-20200	2000	27	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 15 प्रतिशत समूह-घ के ऐसे कर्मचारी जो हाईस्कूल और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह-ग के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली 2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हो, से पदोन्नति द्वारा। 05 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त समूह-घ के ऐसे कर्मचारी जो इण्टरमीडिएट हो और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह-ग के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों से पदोन्नति द्वारा। साधी भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हताः- (1) माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (3) डी0ओ0ई0ए0सी0 सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण-पत्र।
			कुल पद	**46**	

(ब) <u>आशुलिपिक संवर्ग</u>

क्र0 सं**0**	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	पुनर्गठन के उपरान्त पद	भर्ती की विधि एवं शैक्षिक अर्हता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300-34800	4600	06	मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 में से जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग मे कुल 15 वर्षो की सेवा और वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2 के पद पर 05 वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	13	मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कुल 08 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
3	आशुलिपिक	5200-20200	2800	18	सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता- (1) माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। (2) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। (3) डी0 ओ0 ई0 ए0 सी0 सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण हो।
			कुल पद	**37**	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(स) <u>लेखा संवर्ग</u>

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	पुनर्गठन के उपरान्त पद	भर्ती की विधि एवं शैक्षिक अर्हता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	लेखाकार	9300-34800	4200	01	चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
2	सहायक लेखाकार	5200-20200	2800	01	सीधी भर्ती द्वारा। अर्हताः- (1) भारत वर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से एकाउण्टेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेबल का डिप्लोमा।
			कुल पद	**02**	

(द) <u>लेखा परीक्षक संवर्ग</u>

राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में लेखा परीक्षा संवर्ग में केवल 01 पद वरिष्ठ लेखा परीक्षक का ग्रेड वेतन रु0 4200/- में उपलब्ध है। राजकीय विभागों के सामान्य ढाँचे के अनुसार इस पद को लेखा परीक्षक से पदोन्नति कर भरे जाने का प्राविधान होना चाहिए। पोषक पदों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत इस पद को सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा।

(य) <u>ई0डी0पी0 संवर्ग</u>

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	पुनर्गठन के उपरान्त पद	भर्ती की विधि एवं शैक्षिक अर्हता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	कम्प्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड-2	9300-34800	4600	01	06 वर्ष की नियमित सेवा वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-सी के पद से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-सी	9300-34800	4200	01	06 वर्ष की सेवा वाले कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी के पद से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
3	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी	5200-20200	2800	01	06 वर्ष की सेवा वाले कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के पद से शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
4	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	5200-20200	2400	03	सीधी भर्ती द्वारा। अर्हताः- (1) मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट या डी0ओ0ई0 से 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र के साथ इण्टरमीडिएट। (2) डास/ यूनिक्स/विन्डोज के अन्तर्गत कार्यरत वातावरण में एम0एस0आफिस/ लोटस/ स्मार्टसूट आदि जैसे भिन्न-भिन्न साफ्टवेयरों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में डाटा इन्ट्री का अच्छा ज्ञान तथा किसी नेटवर्किंग आपरेटिव सिस्टम के वातावरण का एक्सपोजर। (3) हिन्दी तथा अंग्रजी में कम से कम 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति।
			कुल पद	**06**	

(र) <u>उर्दू अनुवादक संवर्ग</u>

उर्दू अनुवादक का एक पद वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/- में बना रहेगा। इस पद पर भर्ती कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(ल) <u>वाहन चालक संवर्ग</u>

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	पुनर्गठन के उपरान्त पद	भर्ती की विधि एवं शैक्षिक अर्हता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	वाहन चालक विषेष श्रेणी	9300-34800	4600	01	ऐसे वाहन चालक ग्रेड-1 से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस रूप में 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	वाहन चालक ग्रेड-1	9300-34800	4200	02	वाहन चालक ग्रेड-2 में 03 वर्ष की सेवा वाले वाहन चालको से पदोन्नति द्वारा।
3	वाहन चालक ग्रेड-2	5200-20200	2800	03	वाहन चालक ग्रेड-3 पर 06 वर्ष की सेवा वाले पदधारक से पदोन्नति द्वारा। अथवा ग्रेड-4 एवं ग्रेड-3 के पद पर कुल मिलाकर 15 वर्ष की सेवा वाले वाहन चालक से पदोन्नति द्वारा।
4	वाहन चालक ग्रेड-3	5200-20200	2400	04	09 वर्ष की सेवा वाले वाहन चालक ग्रेड-4 से पदोन्नति द्वारा।
5	वाहन चालक ग्रेड-4	5200-20200	1900	04	शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। अर्हता-कक्षा-8 उत्तीर्ण तथा भारी या हल्के वाहन चलाने का 03 वर्ष से अन्यून अवधि का ड्राइविंग लाइसेंस हो।
			कुल पद	**14**	

(ब) <u>चतुर्थ श्रेणी संवर्ग</u>

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	पुनर्गठन के उपरान्त पद	भर्ती की विधि एवं शैक्षिक अर्हता
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	जमादार/ अर्दली	5200-20200	1800	02	चतुर्थ श्रेणी के कुल उपलब्ध 48 पदों में से वर्तमान में रिक्त 19 पदों पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जायेगा। भविष्य में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर भी आउटसोर्सिंग से कार्य लिया जायेगा।
2	दफ्तरी	5200-20200	1800	01	
3	अनुसेवक	5200-20200	1800	38	
4	फर्राश	5200-20200	1800	02	
5	सफाई कर्मी	5200-20200	1800	02	
6	बन्डल लिफ्टर	5200-20200	1800	03	
			कुल पद	**48**	
			महायोग	**155**	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिया जायेगा।

4- उपर्युक्त 155 पदों में से रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, आयोग के कार्यहित में, इन रिक्त पदों को आयोग द्वारा सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति/सेवा प्रदाता के माध्यम से भरा जा सकेगा।

5- प्रस्तर-1 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापों को इस सीमा तक अवक्रमित/ संशोधित समझा जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-वे0आ0-2-293/X-16, दिनांक 05 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2016/269/**(1)/43-1-2016,** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
4- सचिव, सूचना आयोग, उ0प्र0,लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2.
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

भवेश रंजन
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।